

रिपोर्ट पटवारी हत्का / आई०एल०आर०  
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

महो.

रिपोर्ट है कि शाह-डाकरी की पालावेजी/पत्रावली (2075-78) में खता नं. 149 में राकेश पुत्र मदनलाल दि. 6 फरवरी-मेखवाल दर्ज खाता नं. 149 के

दास्तावेजों के अन्तर्गत कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी, आद्यालकास लाला/नरपुंज

क्रमांक : राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त करने जाने की अभिराधा की जाती है/नहीं की जाती है।

पुत्र मदनलाल दि. 6 फरवरी-मेखवाल दर्ज खाता नं. 149 के  
 आद्यालकास लाला/नरपुंज  
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी 26/5/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं प्रिन्सिपल सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राजस्थान)  
 - आदेश :-

दिनांक :-

प्राथी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	डाकरी	2075-78	149	राकेश पुत्र मदनलाल दि. 6 फरवरी-मेखवाल 149-68	राकेश पुत्र मदनलाल दि. 6 फरवरी-मेखवाल 149-68

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

क्रमांक :- राजस्व/2020/149

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्राथी/प्राथीया .....को सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी  
 प्रभारी अधिकारी  
 प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023  
 उपखण्ड अधिकारी  
 उदयपुरवाटी  
 को सूचनाार्थ।  
 26/5/23